130

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2602 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13 जून 2017 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 6/अ–74/पुर्नविलोकन/2016–17

श्रीमती मनोरमा देवी मिश्रा पत्नि स्व.रामबाबू मिश्रा
निवासी कटनी हाल मुकाम उमरहटी रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश राज्य व्दारा कलेक्टर रीवा
2– कार्यपालन यंत्री,म0प्र0 गृह निर्माण मंडल
एंव अधोसरंचना विकास मंडल संभाग रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 15–11 –2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6/अ–74/पुर्नविलोकन/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11–6–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर रीवा सह सक्षम अधिकारी, म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम रीवा ने आदेश दिनांक 16–8–88 पारित करके महिला बृजवाला रानी व्यास पत्नि नरेशचन्द्र निवासी उपरहटी तहसील हुजूर व्दारा धारित भूमि में से ग्राम मैदानी की भूमि सर्वे क्रमांक 115 रकबा 0.11 डि. , 116 रकबा 4.50 डि. 117 रकबा 2.20 डि. जुज रकबा 6.81 डि. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत अतिशेष घोषित की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त , रीवा संभाग रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 136/1989–90 अपील में पारित आदेश दि. 9–4–2015

से कलेक्टर रीवा का आदेश दि0 16-8-88 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपीलांट को पक्षकार बनाकर पक्ष समर्थन का अवसर देकर मौके, अभिलेखों के अनुसार गुणदोष पर आदेश पारित किया जावे, जबकि कलेक्टर रीवा सह सक्षम अधिकारी, म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम रीवा के पूर्वदिशों से धारक महिला बृजवाला रानी व्यास पत्नि नरेशचन्द्र निवासी उपरहटी तहसील हुजूर द्वारा धारित भूमियों में से उक्त भूमि भी अतिशेष घोषित की जाकर शासकीय अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन की दर्ज थी।

कार्यपालन यॅत्री म0प्र0गृह निर्माण मण्डल एंव अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग रीवा ने पत्र दिनांक 19-1-16 से अटल आश्रय योजना के लिये भूमि का मांग पत्र कलेक्टर रीवा को प्रेषित किया, जिस पर से कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 49 अ-19/मूल/2015-16 पॅजीबद्व किया तथा नजूल अधिकारी रीवा से स्थल की जांच कर भूमि चयनित करके आवंटन के प्रस्ताव मांगे, जिस पर नजूल अधिकारी रीवा ने प्रतिवेदन दिनांक 7-6-16 प्रस्तुत किया तथा ग्राम मैदानी स्थित भूमि सर्वे कमांक 115, 116 117 रकबा 2.76 है0 गृह निर्माण मण्डल को आवंटन के प्रस्ताव दिये। तदुपरांत कलेक्टर रीवा ने प्र0क0 49 अ-19/मूल/ 15-16 में आदेश दि. 24-9-16 पारित किया एंव ग्राम मैदानी की भूमि स0क0 115 116 , 117 कुल रकबा 2.760 है. भूमि कमजोर आय व निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन निर्माण एंव भूखंड विकास के कियान्वयन के लिये आवंटित कर दी। इस आदेश के पुनरावलोकन किये जाने हेतु आवेदक ने कलेक्टर रीवा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 6/अ-74/पुर्नविलोकन/2016-17 पॅजीबद्व किया एंव आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 11-6-2017 पारित किया एंव आवेदक का पुनरावलोकन आवेदन अमान्य कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों , उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 49 अ-19/मूल/2015-16 में आदेश दि0 24-9-16 से ग्राम मैदान की भूमि सर्वे कमांक 115 रकबा 0.045 है. , 116

रकबा 1.825 हैक्टर, 117 रकबा 0.890 हैक्टर कुल रकबा 2.760 है. भूमि कमजोर आय व निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन निर्माण एंव भूखंड विकास के कियान्वयन के लिये कार्यपालन यॅत्री म0प्र0गृह निर्माण मण्डल एंव अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग रीवा को आवंटित की है और इसी आवंटन आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2016 के सम्बन्ध में आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि जब अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 136/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-4-2015 से कलेक्टर रीवा सह सक्षम अधिकारी, म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम रीवा का आदेश दिनांक 16-8-88 को निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपीलांट को पक्षकार बनाकर उसे पक्ष समर्थन का अवसर देकर मौके की एंव अभिलेखों की स्थिति के अनुसार गुणदोष पर आदेश पारित किया जावे, तब कलेक्टर रीवा को उक्त भूमि हाउसिंग बोर्ड के लिये आवंटित नहीं करना थी। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 136/ 1989-90 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-4-2015 पर से प्रस्तुत नहीं हुई है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9-4-2015 की छानवीन पर विचार संभव नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9-4-2015 के कम में आवेदिका को कलेक्टर रीवा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने एंव प्रमाण रखने का उपचार प्राप्त है। विचाराधीन मामले में देखना यह है कि क्या प्रकरण कमांक 49 अ-19/मूल/2015-16 में आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2016 से ग्राम मैदान की वादग्रस्त भूमि कमजोर आय व निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन निर्माण एंव भूखंड विकास के कियान्वयन के लिये आवंटित करने के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन को निरस्त करने में कलेक्टर रीवा ने किसी प्रकार की त्रृटि की है? कलेक्टर रीवा द्वारा प्र0क0 6/अ-74/ पुर्नविलोकन/ 16-17 में पारित आदेश दि. 11-6-2017 के पद 4 का उद्धरण इस प्रकार है :-

" मैंने आवेदिका के अभ्यावेदन, अनावेदक कमांक 2 के जवाव पर विचार तथा प्रकरण का अवलोकन किया। उपगृह निर्माण आयुक्त म0प्र0 गृह निर्माण एंव अधोसंचना विकास मण्डल वृत्त रीवा द्वारा की गई मांग अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एंव तहसीलदार हुजूर जिला रीवा से ग्राम मैदानी पटवारी हलका करहिया तहसील हुजूर जिला रीवा की शासकीय भूमि खसरा कमांक 115, 116, 117 कुल रकबा 2.760 हैक्टर के संबंध में प्रतिवेदन मंगाया गया था, प्रश्नाधीन भूमि मध्य प्रदेश शासन शासकीय अभिलेख में होना पाया गया। शासन द्वारा दिये गये निर्देशों एंव नजूल अधिकारी, नजूल तहसीलदार रीवा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भूमि एक रूप्ये प्रव्याहित एक रूपये भू भाटक पर प्रदेश में कमजोर आय वर्ग एंव निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन निर्माण एंव भूखंड विकास के कियान्वयन हेतु

उपगृह निर्माण आयुक्त म0प्र0 गृह निर्माण एंव अधोसंरचना विकास मण्डल वृत्त रीवा को आरक्षित की गई है। पुर्नविलोकन कर्ता व्दारा इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 49 अ-19/मूल/2015716 में पारित आदेश दिनांक 24-9-2016 को पुर्नविलोकन में लेने का अनुरोध किया । म.प्र. सिविल प्रकिया संहिता में उपबंधित किये गये आधारों पर ही दिया जायेगा अथवा नहीं। सिविल प्रकिया संहिता आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं :-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्ष के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट या गलती,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

इस प्रकरण में उपरोक्त तीनों में से कोई भी आधार पुर्नविलोकन में नहीं है। अतः आवेदिका का पुर्नविलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। ''

उक्त से परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 6/अ-74/पुर्नविलोकन/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11-6-2017 स्पष्ट आदेश है एंव शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम अंकित होने से आवंटित की गई है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर आवेदक व्दारा स्वत्व के सम्बन्ध में किये जा रहे दावे का प्रश्न है ? स्वत्व संबंधी विवाद के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है । शासकीय अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम अभिलिखित भूमि पर आवेदक के अभिभाषक व्दारा आवेदक का स्वत्व होने के सम्बन्ध में दिया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 6/अ-74/पुर्नविलोकन/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11-6-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर